न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 153/2018 दायरा दिनांक : 26.11.2018

उनवान

भोजराज वल्द नाथूलाल, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम नाला, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– बापू लाल वल्द भंवरलाल, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम नाला, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

2– नानू बाई पुत्री भैरू लाल जी पत्नी मथुरालाल, जाति गूर्जर, निवासी सेमली सांखला, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

3– कमला बाई पुत्री भैरूलाल, जाति गूर्जर, पत्नी नारायण सिंह, जाति गूर्जर, निवासी भालती, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

4– प्रेमबाई पुत्री भैरूलाल पत्नी सुजान सिंह जी, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम बरेडी, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

5– भूला बाई पुत्री भैरू लाल पत्नी सपातर सिंह, जाति गूर्जर, निवासी गोऊपुरा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

6– नन्दू बाई बेवा पत्नी भैरू लाल, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम नाला, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

7– राय सिंह वल्द भैरूलाल, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम नाला, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

8– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार असनावर, जिला झालावाड़.... रेस्पोडेंट

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपील संख्या 134/2018 दायरा दिनांक : 21.08.2018

उनवान

भोजराज वल्द नाथूलाल, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम नाला, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– बापू लाल वल्द भंवरलाल, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम नाला, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

2– नानू बाई पुत्री भैरू लाल जी पत्नी मथुरालाल, जाति गूर्जर, निवासी सेमली सांखला, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

3– कमला बाई पुत्री भैरूलाल, जाति गूर्जर, पत्नी नारायण सिंह, जाति गूर्जर, निवासी भालती, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

4– प्रेमबाई पुत्री भैरूलाल पत्नी सुजान सिंह जी, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम बरेडी, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

5– भूला बाई पुत्री भैरू लाल पत्नी सपातर सिंह, जाति गूर्जर, निवासी गोऊपुरा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

6– नन्दू बाई बेवा पत्नी भैरू लाल, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम नाला, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

7– राय सिंह वल्द भैरूलाल, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम नाला, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

8– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार असनावर, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

उपस्थित श्री तंवर सिंह झाला अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बच्चू लाल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 07.01.2021

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, असनावर के प्रकरण संख्या – 569/2013 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.07.2018 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18.07.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील संख्या 153/2018 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 बापूलाल ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत कानून सम्मत विभाजन आराजियात मुन दर्जा जमाबंदी संवत 2066–69 खाता संख्या 36/33 बाबत पेश किया, दावे को रजिस्टर्ड किया गया उसके बाद प्रतिवादीगण को बिना कानून सम्मत तलबी कराये उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये एवं बिना साक्ष्य लिये जमाबंदी के आधार पर ही बापू लाल के पक्ष में प्रारम्भिक डिक्री ग्राम नाला तहसील असनावर के खाता संख्या 36/33 में बापू लाल का 1/3 हिस्सा पृथक खाते दर्ज करने हेतु तहसीलदार असनावर को बंटवारा प्रस्ताव तैयार करवाकर तलब किया इस निर्णय से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई । अपील में अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है, मनमाना है, परवर्स है, केप्रिसियस हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना शपथ पर साक्ष्य दर्ज किये एवं बिना जमाबंदी को प्रदर्शित कराये निर्णय दिया है जो कानून सम्मत निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है । प्रतिवादीगणों को कोई

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

विधिवत सम्मनों की सूचना नहीं हुई है एवं प्रकरण सन् 2013 से लम्बित चला जो एस डी ओ झालावाड से एस डी ओ असनावर भेजा गया जिसके बाद इस प्रकरण में कोई कानून सम्मत प्रक्रिया नहीं अपनायी गई जिस कारण निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री निरस्त होने योग्य है । रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने दावा बाबत विभाजन आराजी खसरा नम्बर 67 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा आदि खसरा नम्बरान का बीघा बिस्वा में रकबा दर्ज किया हुआ है एवं इस बाबत कोई हेक्टर में रकबा डिक्री नहीं किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने जो फाईनल डिक्री जारी की है उसमें रकबा हेक्टर में दर्ज किया है जो नहीं किया जाना चाहिए जिस कारण से निर्णय अपास्त होने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 11.07.2018 अपास्त किया जावे ।

अपील संख्या 153/2018 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.07.2018 जो प्रकरण संख्या 569/2013 उनवानी बापूलाल बनाम राय सिंह में पारित किया था उसके खिलाफ यह अपील पेश की है । अधीनस्थ न्यायालय निर्णय के अनुसार तहसीलदार असनावर से बंटवारा प्रस्ताव तलब किया एवं दिनांक 18.07.2018 को फाईनल डिक्री बिना अपीलांट तथा अन्य फरिकेन को समाअत किये पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई । अपील में अपीलांट ने कथन किया कि फाईनल डिक्री विधि विरूद्ध पारित की गई है । दावा बीघा बिस्वा रकबे में विभाजन हेतु प्रारम्भिक डिक्री किया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने हेक्टर में फाईनल डिक्री जारी कर दी जिससे फरिकेन व्यथित हैं एवं प्रत्येक के हिस्से में किस किस खसरा नम्बर की कितनी भूमि बीघा एवं बिस्वा में आयी है इस बाबत उन्हें पता नहीं चल पाया है इस कारण फाईनल डिक्री अपास्त होने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व फाईनल डिक्री दिनांक 18.07.2018 अपास्त किया जावे ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

दोनों अपीले प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण की तामील कराये बिना, साक्ष्य लिये बिना लोक अदालत में निर्णय दिनांक 11.07.2018 को पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने फाईनल डिक्री जारी करते समय पक्षकारों को सूचना नहीं दी है तथा फाईनल डिक्री पर किसी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं हैं । केम्प की सूचना हमें नहीं दी गई । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत निर्णय पारित किया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.07.2018 के फैसले में प्रतिवादी के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव में चार हिस्से सही किये । फाईनल डिक्री में कोई एतराज नहीं किया बंटवारा अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर किया है जो सही है । अतः अपील खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पक्षकारों को जारी लोक अदालत केम्प के नोटिस/सम्मन सलंग्न है लेकिन तलबी की रिपोर्ट ही नहीं है, इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण की तलबी कराये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने उसी दिन निर्णय पारित किया है, जो उचित नहीं है । यह भी स्पष्ट है कि बंटवारा प्रस्ताव पर सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर नहीं हैं इससे स्पष्ट है कि प्रकरण में राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना भी नहीं की गई है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 134/2018 एवं 153/2018 अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.07.2018 एवं अंतिम

[illegible]
एवं
पदेन राजस्व अपील [illegible]
कोटा (राज.)

डिकी दिनांक 18.07.2018 अपास्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षकारों को उचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करे एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना कर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.04.2021 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा